न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—103 / 14 (2014 / 00076) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गोपाल सिंह आत्मज मनोहर सिंह राजपुत निवासी सुरास तहसील रायपुर
2—अर्जुन सिह आत्मज मनोहर सिंह राजपुत निवासी सुरास तहसील रायपुर
3—मदन सिंह आत्मज मनोहर सिंह राजपुत निवासी सुरास तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थीगण

बनाम

1—गायड सिंह आत्मज भगवत सिंह राजपुत निवासी कांकरोद तह.देवगढ़ मृतक के बजाय
1(1) प्रकाश कंवर पुत्री गायड सिंह राजपुत निवासी कांकरोद तह.देवगढ़
1(2) प्रहलाद सिंह पुत्र गायड सिंह राजपुत निवासी कांकरोद तह.देवगढ़
2—फुलकंवर पत्नि राम सिंह राजपुत निवासी कांकरोद तहसील देवगढ़ जिला भीलवाडा
3—राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर महोदय भीलवाडा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—नारायणसिंह आत्मज भवंरसिंह राजपुत निवासी बागजणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट.

उपस्थित
1—जाकिर हुसैन — अधिवक्ता प्रार्थी
2—फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता विपक्षीगण

दिनांक 23.01.2020

निर्णय

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुरास तहसील रायपुर में देवी सिंह आत्मज जुहार सिंह राजपुत निवासी चिलेश्वर के नाम राजस्व अभिलेख में साबिक आराजी नम्बर 162 रकबा 01 बिघा 01 बिस्वा आराजी नम्बर 163 रकबा 04 बिघा 17 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 05 बिघा 18 बिस्वा भूमि दर्ज थी। देवीसिंह राजपुत एवं सरदार सिंह राजपुत ने उक्त आराजियात संवत 2008 में 85 / — रूपये के प्रतिफल में प्रार्थीगण के पिता मनोहर सिंह आत्मज ज्ञानसिंह राजपुत को विक्रयकर विक्रयसुदा भूमि पर प्रार्थीगण के पिताजी मनोहर सिंह जी का आधिपत्य करा दिया जिसके सन्दर्भ में देवी सिंह व सरदार सिंह ने प्रार्थीगण के पिताजी के पक्ष में लिखतम निष्पादित की। साबिक आराजी नम्बर 162, 163 के नवीन आराजी नम्बर 223, 224, 225, 226, 227, 228 कुल किता 6 कुल रकबा 1.28 है0 भूमि दर्ज है। उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण विपक्षीगण विरूद्व ता फैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की ग्राम सुरास तहसील रायपुर के नवीन आराजी संख्या 223, 224, 225, 226, 227, 228 कुल किता 6 कुल रकबा 1.28 है0 भूमि को किसी के माध्यम से खुर्द बुर्द अन्तरित एवं भारित नही करे प्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल नही करे प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे कास्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार दखलदांजी न तो स्वयं करें न अन्य से करावें विपक्षी संख्या 5 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावें कि उक्त वादग्रस्त आराजियात का अन्तरण का कोई दस्तावेज पंजीयन हेतु उसके समक्ष प्रस्तुत हो तो इसका पंजीयन नही करें, विपक्षी संख्या 4 न्यायालय की अनुमति बिना उक्त वादग्रस्त आराजियात के राजस्व अभिलेख में कोई परिवर्तन नही करे एवं मौके रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी गायड सिंह फोथ होने से उनके वारीसान को रकार्ड

पर लिये गये तथा इसी के साथ श्री नारायण सिंह उक्त प्रकरण में पक्षकार बनने हेतु आवेदन पेश करने पर इससे पक्षकार बनने की स्वीकृती जारी की गई जिस पर श्री नारायण सिंह की और से जवाब एवं काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात को तत्कालिन खातेदार ने प्रार्थीगण के पिता को विक्रय नही की गई है और प्रार्थीगणो के द्वारा जो विक्रय बाबत् लिखा पढ़ी पेश की जो फर्जी है उक्त लिखा पढ़ी के आधार पर प्रार्थीगण विवादित भूमि के सम्बन्ध कोई दाद नही ले सकते है। और अन्त मे निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज रेकार्ड है जिस पर उनका कब्जा चला आ रहा है रजिस्डर्ड विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी नारायण सिंह खातेदार कास्तकार होने का अधिकारी है प्रार्थीगण किसी प्रकार हक अधिकार नही रखते। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावें।

प्राथीगण की और से दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोराते हुए निवेदन किया कि मूल खातेदारो के द्वारा प्रार्थीगणो के पिता के पक्ष में भूमि विक्रय कर लिखापढ़ी की गई है और विक्रेता अन्यत्र चले गये नामान्तरणकरण संख्या 208 से सरदारसिंह से विरासत की गई जो गलत है और दौराने वाद भूमि विक्रय कर दी गई है जिससे उस विक्रय पत्र को शुन्य घोषित कराने का वाद सिविल न्यायालय में पेडिंग चल रहा है और मुलवाद के निर्णय तक रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावें।

विपक्षी की ओर से दौराने बहस अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पिता के पक्ष में विक्रय की लिखतम अनरजिस्डर्ड है और कब्जा बाबत् गिरदावरी में विपक्षी का अंकन है प्रोमाफेसी केश विपक्षी के पक्ष मे है प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज फरमावें।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि मूल रूप से खातेदारान द्वारा भूमि प्रार्थीगण के पिता को विक्रय किया जाना प्रस्तुत लिखतम से स्पष्ठ है और इसके साथ ही श्री सरदार सिंह की विरासत के बाद विधिक वारीसान के रूप में जिनके नाम विरासत से दर्ज हुए और उनके द्वारा विपक्षी श्री नारायण सिंह को रजिस्डर्ड दस्तावेज से भूमि विक्रय की जा चुकी है और प्रार्थीगण के द्वारा यह भी अवगत कराया कि श्री नारायण के पक्ष मे है जो विक्रय का दस्तावेज निष्पादित किया गया है जिसको सिविल न्यायालय में चुनोती दे रखी है तथा विपक्षी नारायण सिंह का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है और उसी आराजियात का मूलवाद इस न्यायालय में विचाराधीन है और मूलवाद के निस्तारण तक रेकार्ड में किसी तरह की तब्दीली नही हो ऐसी स्थिति रेकार्ड ओर मौके की यथास्थित रखी जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 व 2 एवं 6 के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के ताफैसला तक ग्राम सुरास की आराजी संख्या 223, 224, 225, 226, 227, 228 कुल किता 6 कुल रकबा 1.28 है0 भूमि को किसी के माध्यम से खुर्द बुर्द अन्तरित एवं भारित नही करे प्रार्थीगण को उक्त वादग्रस्त भूमि से बेदखल नही करे प्रार्थीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे कास्त एवं उपयोग उपभोग में किसी प्रकार दखलदांजी न तो स्वयं करें न अन्य से करावें एवं रेकार्ड और मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। उक्त पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावें बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.1.2020

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (पाली) भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.01.28 18:02:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: